।।कार्यालय जनपद न्यायाधीश चमोली–गोपेश्वर।।

प्रशासनिक आदेश संख्या– 08/2020 दिनांकः 15–04–2020

समस्त न्यायिक अधिकारीगण, तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड़, नैनीताल के नोटिफिकेशन संख्या–87/यू0एच0सी0/एडमिन बी/2020, दिनांकित 12 अप्रैल 2020 एवं नोटिफिकेशन संख्या–88/यू0एच0सी0/एडमिन बी/2020, दिनांकित 14 अप्रैल 2020 के आदेशानुसार, राज्य के अधिनस्थ न्यायालयों में कार्य का संचालन करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 15–04–2020 से लेकर अगले आदेशों तक लागू करने के निर्देश जारी किये है जो कि निम्नलिखित है–

1- "Except the matters hereinafter mentioned, no other matter shall be taken up by the Courts during the period this notification is in force.

2- The following matters shall be taken up by the Courts-

(A) Matters relating to remand, bail release of property, recording of statements under section 164 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and such others matter brought before the Courts, which are necessary for conduct of investigation by police.

------------------------------All the direction including schedule".

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा जारी किये उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में, अधिनस्थ न्यायालयों के संचालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए जा रहे है–

1. दिनांक 15–04–2020 से लेकर अगले आदेशों तक जनपद मुख्यालय एवं वाहय न्यायालयों में निम्नलिखित पीठासीन अधिकारीगण को नामित किया जाता है जो कि उपरोक्त वर्णित आवश्यक कार्यों का निष्पादन करेंगे –

क0सं0	पीठासीन अधिकारीगण का नाम व पदनाम	जनपद मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालयों का नाम	तिथि
1	श्री राजीव धवन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।	1. न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चमोली। 2. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली। 3. न्यायालय सिविल जज(सी0डि0), चमोली। 4. न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, गोपेश्वर। सभी न्यायालयों के आवश्यक कार्य।	दिनांक 15–04–2020 से लेकर अगले आदेश तक।
2	श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय, सिविल जज(सी0डि0)/ ए0सी0जे0एम0, कर्णप्रयाग।	1. न्यायालय, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कर्णप्रयाग। 2. न्यायालय सिविल जज(सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0,	दिनांक 15–04–2020 से लेकर अगले आदेश तक।

		कर्णप्रयाग। 3. न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) / जे0एम0, पोखरी। सभी न्यायालयों के आवश्यक कार्य।	
3	सहिस्ता बानों, सिविल जज (जू0डि0) / जे0एम0, थराली।	1. न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) / जे0एम0, थराली के आवश्यक कार्य।	दिनांक 15–04–2020 से लेकर अगले आदेश तक।
4	श्री अमित भट्ट, सिविल जज (जू0डि0) / जे0एम0, गैरसैंण।	1. न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) / जे0एम0, गैरसैंण के आवश्यक कार्य।	दिनांक 15–04–2020 से लेकर अगले आदेश तक।
5	श्री रोहित जोशी, सिविल जज (जू0डि0) / जे0एम0, जोशीमठ।	1.न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) / जे0एम0, जोशीमठ के आवश्यक कार्य।	दिनांक 15–04–2020 से लेकर अगले आदेश तक।

2. अरविन्द सिंह रावत, सिस्टम ऑफिसर, जजशिप, चमोली को निर्देशित किया जाता है कि वह सम्बन्धित सर्वर रूम में प्रातः 10:00 बजे तक उपस्थित होकर आवश्यक आपराधिक कार्यो के सम्बध में जो भी ईमेल प्राप्त होगी वह इसकी सूचना सम्बन्धित पीठासीन अधिकारीगण एवं सम्बन्धित न्यायालय रीडर को टेलीफोन पर देना सुनिश्चित करें।

3. जनपद मुख्यालय हेतु नामित पीठासीन अधिकारी, आवश्यक कार्यो के सम्पादन हेतु मुख्यालय के वीडियो कॉफ्रेसिंग रूम में उपस्थित होंगे तथा ईमेल से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से करेंगे।

   इसके अतिरिक्त अन्य बाह्य न्यायालयों में नामित पीठासीन अधिकारीगण अपने आवासीय कार्यालय से ही आवश्यक कार्यो का सम्पादन वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से करेंगे तथा जनपद चमोली के सभी तकनीकी स्टॉफ उनकी सहायता करेंगे।

4. सिस्टम ऑफिसर, जजशिप, चमोली को निर्देशित किया जाता है कि वह मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के साथ समन्वय बनाते हुये, जजशिप चमोली में कार्यरत सिस्टम ऑफिसर, सिस्टम असिस्टेंट व प्रशासनिक अधिकारी / कोर्ट स्टॉफ एवं वाह्य न्यायालय, कर्णप्रयाग / थराली / गैरसैंण / जोशीमठ / पोखरी के कर्मचारियों के नाम, मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आई0डी0 की सूची को जिला न्यायालय की आधिकारिक बेवसाइट पर उल्लेख करना सुनिश्चित करें ताकि अधिवक्ताओं, पुलिस अभियोजक या वादकारी अपना आवेदन आदि ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सके।

5. सिस्टम ऑफिसर / सिस्टम असिस्टेंट, जजशिप, चमोली को निर्देशित किया जाता है कि वह सम्बन्धित सर्वर रूम में प्रातः 10:00 बजे तक उपस्थित होकर आवश्यक

आपराधिक कार्यो के सम्बध में जो भी ईमेल प्राप्त होगी वह उन्हें सम्बन्धित जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी / फौजदारी), विशेष लोकसेवक अभियोजक (पोक्सो), वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं अधिवक्ताओं को ईमेल भेजने के लिए निदेशित किया जाता है तथा किसी मामले के निस्तारण होने की दशा में उक्त मामले की जानकारी मोबाइल और ईमेल द्वारा अधिवक्ताओं को सूचना दी प्रेषित की जायेगी।

6. जजशिप, चमोली समस्त कर्मचारीगण यानी रीडर, तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण, आशुलिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण मोबाइल फोन के माध्यम से सम्बन्धित पीठासीन अधिकारीगणों के सम्पर्क में रहेंगे और पीठासीन अधिकारी द्वारा निदेशानुसार, आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय मे उपस्थित होगें। जजशिप चमोली के समस्त कर्मचारियों को यह भी निदेशित किया जाता है कि वे अपना मोबाइल फोन किसी भी स्थिति में बंद नहीं करेंगे।
7. न्यायिक अधिकारीगण आवश्यकता के अनुसार रोटेशन के आधार पर अपने कर्मचारियों को कार्यालय में बुला सकते है। हालांकि, उत्तराखण्ड़ सरकार एवं माननीय न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार सामाजिक भेद (Social distancing) के मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जावे।

8. न्यायालय परिसरों से दूर रहने वाले कर्मचारी अपने घर पर ही रहेंगे और वहीं से न्यायालयों / कार्यालय के काम करेंगे। जब भी आवश्यकता होगी, उन्हें बुलाया जाएगा।
9. कोविड–19 (COVID-19) महावारी के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी की गई सावधानियां / दिशा–निर्देश का सख्ती से पालन किया जावे।
10. सामाजिक भेद (Social distancing) के मानदंडों एवं सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाये।
11. डयूटी में भाग लेने वाले कर्मचारी अपने अनुभाग से अनावश्यक रूप से नहीं हटेंगे।
12. केन्द्रीय साध्यपाल / उप साध्यपाल नियमित आधार पर न्यायालय परिसर एवं अनुभागों को सैनिटाइज़ करना सुनिश्चित करेगा।
13. मास्क / रूमाल का उपयोग कर्मचारियों द्वारा हर समय किया जाएगा।
14. सैनिटाइज़र (Sanitizers) को न्यायालय परिसरों के प्रत्तेक गेट के बाहर रखा जाये और प्रत्तेक कर्मचारी अपने हाथ को साफ करने के पश्चात् परिसर के अन्दर प्रवेश करेंगे। केन्द्रीय साध्यपाल / उप साध्यपाल नियमानुसार समुचित संधारण सुनिश्चित करेगा।

15. माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड़ के निर्देशों के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि वीडियो कॉफ्रेसिंग हेतु **"Jitsi Meet"** सॉफ्टवेयर को इस उद्देश्य हेतु उपयोग में लाया जाएगा, इस सम्बन्ध में, अधिवक्ताओं, अभियोजन कार्यालयों, जिला शासकीय अधिवक्ताओं एवं पुलिस विभागों को इस सॉफ्टवेयर को एण्डरॉइड डिवाइस/आई0फोन/डेस्कटॉप/लैपटॉप में गूगल प्ले स्टोर/एप्पल स्टोर से डाउनलोड़ की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य सॉफ्टवेयर "ZOOM Cloud Meeting" & "Vidyo Mobile/Desktop" को गूगल प्ले स्टोर/एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से आवश्यक मामलों की सुनवाई की जा सकती है। अतः अधिवक्ताओं को पहले से इन दो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड़ और इंस्टॉल करने की आवश्यक्ता होगी, जो कि गूगल प्ले स्टोर/एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है।

दिनांकः 15—04—2020

Sd/-
जनपद न्यायाधीश,
चमोली।

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कर्णप्रयाग।
2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।
3- सिविल जज (सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0, कर्णप्रयाग।
4- सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, थराली।
5- सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, गैरसैंण।
6- सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, जोशीमठ।
7- सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, पोखरी।
8- जिला बार एसो0, चमोली।
9- तहसील बार एसो0, कर्णप्रयाग/थराली/गैरसैंण/जोशीमठ/पोखरी।
10- जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी/फौजदारी) चमोली।
11- विशेष लोकसेवक अभियोजक (पोक्सो), चमोली।
12- वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, चमोली।
13- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जजशिप, चमोली।
14- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/सादर मुन्सरिंम, जजशिप, चमोली।
15- केन्द्रीय साध्यपाल/उप साध्यपाल, जजशिप, चमोली।
16- सिस्टम ऑफिसर, जजशिप,चमोली।
17- गार्ड फाइल।

आदेशानुसार,

15/4/2020
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जजशिप, चमोली।